हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 04/2017 अर्न्तगत धारा 88,188,आरटीए केली देवी बनाम देवी सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
4.06.2019	वादी व उनके अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद पत्र विड्रो किये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया जिस पर पत्रावली तलब होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई वादीगण के मुख्तयारआम व वादीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद मे विधिक त्रृटियॉ रह जाने से वादीगण उक्त वाद को आगे चलाना नही चाहते है तथा उक्त त्रुटियो को दुरूस्त कर वादीगण को नवीन वाद प्रस्तुति की अनुमति प्रदान कर उक्त वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करावे। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति प्रतिवादी संख्या 1 को उपलब्ध कराई गई जिनके द्वारा आवेदन पत्र पर अनापत्ति अंकित की गई। वादीगण स्वंय उक्त वाद को त्रुटि के कारण चलाना नही चाहते है, अपने कथनो के समर्थन मे वादीगण के मुख्तयारआम के द्वारा आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिन्हे उनके अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह चौहान ने पहचान कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस वाद को इसी स्तर पर विड्रो (खारिज) किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण नवीन वाद लाने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	Identified By me (महेन्द्र सिंह) 4.6.2019.

Scanned by CamScanner